

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 1979/फाल्गुन 16, 1900

No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 1979/PHALGUNA 16, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1979

सार्वजनिक सूचना सं. 25-ई टी सी (पी एम)/79

विषय :—अप्रैल 1978—मार्च 1979 के दौरान मानव अस्थि-पंजर की निर्यात नीति।

[सं. 49(1)/79-ई 2]—निर्यात-नीति 1978-79 के पृष्ठ 14 पर नीति विवरण की क्रम
सं. 13(11) की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि निर्यात नीति 1978-79 के पृष्ठ 14 पर नीति विवरण की क्रम सं. बी. 13(2) के सामने कालम 3 में विद्यमान प्रविष्टि को संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाए :—

“मानव अस्थि-पंजरों” के निर्यात की अनुमति (1) सम्बद्ध पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जो पद में पुलिस स्टेशन के कार्य-प्रभारी अधिकारी से कम न हों, से अधिप्राप्ति के सात के संबंध में एक प्रमाणपत्र, और (2) विदेशी क्रेता से इस संबंध में एक प्रमाणपत्र कि मानव अस्थि-पंजरों की आवश्यकता केवल जैविक और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए है प्रस्तुत करने पर पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा ही जाएगी। अन्य अस्थि-पंजरों के निर्यात की अनुमति वाणिज्य और कृषि मंत्रालयों के परामर्श से पात्रता के आधार पर है।”

का. वें. शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 7th March, 1979

PUBLIC NOTICE No. 25-ETC(PN)/79

Subject :—Export Policy of Human Skeleton during April 1978—March 1979.

[No. 49 (1)/79-E II]—Attention is invited to S. No. B. 13(ii) of Policy Statement on page 14 of Export Policy 1978-79.

2. On a review of the position it has been decided to amend the existing entry in column 3 against S. No. B. 13(ii) of Policy Statement on page 14 of Export Policy 1978-79 to read as under :—

“Export of Human Skeletons will be allowed by the Port Licensing Authorities on production of certificates from (i) Police authorities not below the rank of the Officer-in-charge of the Police Station concerned regarding the source of procurement; and (ii) foreign buyer that human skeletons are required for biological and medical purposes only. Export of other skeletons is allowed on merits in consultation with the Ministry of Commerce and Ministry of Agriculture”.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports